

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:-

GCMS NO:- 2025/802

--: आदेश :-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सिणे व भू.अ.नि. धारणा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाना/समदडी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, सरपंच अन्नपूर्णा नगर का प्रमाण पत्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सिवाना/समदडी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार सिवाना/समदडी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	सिणे	105, 137, 108.	भटा पुत्र मोमता	भट सिंह पुत्र मोमता
02	अन्नपूर्णा नगर	185.	भटाराम पुत्र मोमता	सिंह

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक- / राजस्व / ग्रा.से.शिविर / 2025 / 15

दिनांक:- 11.10.2025

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार सिवाना/समदडी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी/प्रार्थीगण भट सिंह पुत्र मोमता सिंह जाति राधेराजपूत निवासी-सिणे तहसील सिवाना/समदडी जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रवाली।

